>

Title: Need to protect the interest of SC/STs in the country- Laid.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों के लिए दिए जाने वाले वजीफे की राशि को मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वजीफे की रकम अपने आप बढ़ती रहे, क्योंकि इस समय इस समुदाय के छात्रों के लिए जो वजीफे की राशि मिल रही है, वह केवल नाम मात्र की है।

इंदिरा आवास योजना मुख्यतः अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के लोगों के लिए ही प्रारंभ की गयी थी, किंतु अब इस योजना में सभी को शामिल कर लिया गया है, जिसकी वजह से उक्त समुदाय के लोगों की आवास की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुयी है। इसलिए इंदिरा आवास योजना में एक ऐसी कार्य योजना बनायी जानी चाहिए ताकि अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के लोगों को पांच सालों के अंदर निश्चित रूप से आवास जरूर मुहैया करा दिए जायें।

राज्य सभा और राज्यों की विधान परिदों में अब तक इन जातियों का कोटा तय नहीं किया गया है। यह कोटा आबादी के हिसाब से निर्धारित किया जाना चाहिए तथा इसके लिए वर्ा 2000 को आधार माना जाना चाहिए क्योंकि अब इस तबके की आबादी कम से कम 25 फीसदी तक पहुंच चुकी है और इस सूची में अन्य नयी जातियां भी जुड़ती जा रही हैं। साथ ही उन सरकारी कम्पनियों में अथवा निजी कम्पनियों में भी अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण निश्चित किया जाना चाहिए जिनमें तनिक भी सरकारी भागीदारी हो और आरक्षण में अनुसूचित जाति तथा जनजाति का उम्मीदवार नहीं मिलने पर इसे पिछड़ा वर्ग को देने की बजाये खाली रखा जाना चाहिए।